

मु० न०:- 166 / 2023

तारीखरजू:- 11.12.2023

उनवान:- जगदीश बनाम जानकी वल्लभ वगै०
दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक फर्द अहकाम

11/12/23

वादी की ओर से श्री छुट्टन लाल मीना, एडवोकेट ने दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 05.01.2024 को पेश हो।

8470-78
11.12.2023

(सुनीता मीना) 11/23

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी

5/1/24

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी... (पेगारे 7) है। गतानुसार दिनांक ...8.1.24... को पेश हो

रिज

01/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित प्रतिवादी न० 1 व 2 की ओर से श्री राध्या मीना एडवोकेट श्रीमते पेश किया एवं काश्यामी तारिख पेशी पर वफालातनामा पेश करने के लिए समय प्राप्त एवं प्रतिवादी न० 8 की समील स्वयं के होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। नाबलूड बुचना कोई उपस्थित नहीं इसलिए उक्त प्रतिवादी न० 8 की ओर से उक्त रिफा कार्यवाही कामल में लई जाती है। शेष प्रतिवादीगण न० 3 लगायत के नोटिस की समील विधिवत नहीं हुई है। वरिष्ठ तलवी उप आवण व वफालातनामा दिनांक 6-2-24 को पेश हो।



रिज

6²/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वकील उम्रपपञ्कारान उण। प्रतिवादी नं 2 की शौर से जी सुरेशचन्द्र शर्मा एडव ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 22.2.24 को पेश हो

22²/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वकील उम्रपपञ्कारान उण। प्रतिवादी नं 3 लगा 7 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को डिप्लोम दी गई। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 21.3.24 को पेश हो

21.3.24 वादी वकील/वकील उम्रपपञ्कारान उण। प्रतिवादी नं 3 लगा 7 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को डिप्लोम दी गई। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 21.3.24 को पेश हो।

9-5-24 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील की उपस्थिति नहीं। वार (2) भावाभा डिलेक्टरी हुई इसके उपरान्त भी कोई उपस्थिति नहीं हुआ इसलिए वादी का डाय वादी एवं वादी वकील की अदम पैशवी अदम हाजरी में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली फेरबदलमात्र डिकर नम्रत से कम कर डाखिल उपर हो